भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

INDIA

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

CN 405121

AFFIDAVIT

I,**Abhishek Choubey**, son of **Shri. Shiv Kumar Choubey**and **Director**of the**Maa Rewati College of Education, Mandla,** aged about **46** years, resident of**Ho.No.479,Gali No.15, Shanti Nagar, Damohnaka Jabalpur-482002**, am the authorized signatory of the application made tothe Western Regional Committee of the National Council for Teacher Education at**Delhi** seeking grant of recognition / permission forconducting a course in Teacher Education titledtransition from **B.A.B.Ed.**to **ITEP.**

2. That the Maa Rewati Welfare Societyis in possession of land as per the followingdescription: -

2.1 Total Area (in sqr. Mts.): - 8000Sqr. Mts.

2.2 Address:

24 JAN 2025

Plot No: -
Khasra No: - 340/1/KHA/2, 350/1/KHA/2, 344/1/2

Village/Town/City: - Badi Khairi, Mandla

District: - Mandla

State: - Madhya Pradesh

Area in Square Meters: - 8000 Sqr. Mts. (02Acre)

Bounded by

North: - Jantipur Road

South: - Land ofGhuro Lal

East: -Land of Murari S/O-Shivram

West: - Land ofDeepak Mishra

Jyoti Rai
Advocate (Notary)
Jabalpur District (M.P.) India

136
24/01/25

अभिषेक चौबे S/o शिव कुमार
निवासी - गोदनाका, जबलपुर म.प्र.
आधार - 5865 3128 0850

हस्ते स्वयं - वास्ते शपथ पत्र.

DT/CSV/00000008/2027
स्टाम्प विक्रेता
39/3, शिव नगर
जबलपुर

जिला कोषालय
जबलपुर
17 JAN 2025

Registered in the office of: - Sub. Registrar Mandlaon**28-05-2015 and 19-07-2023.**

3. That the land is on ownership basis.

4. That the land is free from all encumbrances.

5. That the land is exclusively meant for running the education institution (land use) and the permission of the Competent Authority to this effect has been obtained vide letter No. **-183(A-2) 2014-15** and **रा.प्र.क्र.-0166(A-2) 2023-24**dated **28-05-2015 and 19-07-2023** of the communication.

6. That the copy of the affidavit shall be displayed on the website of the Institution for general public.

7. I do hereby swear that my declaration under Para's(1) to are true and correct and that it conceals nothing and that no part of this is false. In case the contents of affidavit are found to be incorrect or false, I shall be liable for action under the relevant provision of the Indian Penal Code and other relevant laws.

24 JAN 2025 ATTESTED

Signature: ______________________

Name of the Applicant: - **Abhishek Choubey**

Address: - **Ho.No.479, Gali No.15,Shanti Nagar, Damohnaka Jabalpur-482002**

Tel: **-0764-2291912**

E-mail address:-mrcedu1@gmail.com

Website address: -www.mrcedu.com

Place: - **Mandla**

Date: - **24-01-2025**

NOTARY JYOTI RAI Ch. No. 4 Sone Complex, Garha Road, Jabalpur (M.P.) Reg. No. 21 GOVT. OF M.P. INDIA

Jyoti Rai Advocate (Notary) Jabalpur District (M.P.) India

Solemnly affirmed before me
Declared before me by
Shri/Smt. Abhishek Choubey
SO/WO/DO/......
Age About...... Occupation......
Resident of Jabalpur M.P.
who is personally known to me/has been duly identified by......

Signature of Identifier NOTARY

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

K 829568

—:: श्री ::—

——00 विक्रय पत्र 00——

विक्रय मूल्य रूपये मात्र 18,50,000/(अठारह लाख पचास हजार रूपये मात्र)
वर्तमान बाजार मूल्य रूपये मात्र =22,54,000/(बाईस लाख चौवन हजार रूपये मात्र)

भू–अधिकार एवं ऋण पुस्तिका
भाग एक क्रमांक–एल एम ए 007264
खाता क्रमांक–347

मुद्रांक शुल्क रूपये मात्र =	1,12,700/00
पंचायत शुल्क रूपये मात्र =	22,540/00
नगरपालिका शुल्क रूपये मात्र =	00/00
उपकर शुल्क रूपये मात्र =	2,818/00
अधिक शुल्क रूपये मात्र =	02/00
योग :–	1,38,060/00

(एक लाख अड़तीस हजार साठ रूपये मात्र)

विक्रेता :– दीपक कुमार मिश्रा पिता श्री गौरीशंकर मिश्रा जाति ब्राम्हण आयु 40 वर्ष
मत0परि0 क–एम पी/24/186/0183209 जारी दिनांक 23.06.2014
पेन नं.–सी जे ओ पी एम 4408 एफ
निवासी तिलक वार्ड मण्डला तहसील मण्डला जिला मण्डला म0प्र0

क्रेता :– माँ रेवती एजूकेशनल एण्ड बेलफेयर सोसाइटी रजि.नं.04/14/01/011379/09
द्वारा सचिव श्रीमति कृष्णा चौबे पति श्री शिवकुमार चौबे जाति ब्राम्हण आयु 57 वर्ष
परि0क.–पेन नं. ए ए बी ए एम 3369 जी
निवासी शांति नगर दमोह नाका जबलपुर तहसील एवं जिला जबलपुर म0प्र0

भारतीय गैर न्यायिक

रु.5000

पाँच हजार रुपये

रसीद दस्तावेज वगैरह 003484

दफ्तर 41/2329/91 ..... मुकाम

किस को दी गई	दस्तावेज की तफसील, तारीख व कीमत या दस्तखत की तारीख या किस्म जो मुहरबंद लिफाफा लिया गया हो जिसके बाबत फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इबारत	तादाद फीस (अगर हो तो) दाखल शुदा	रजिस्ट्री के ओहदेदार के छोटे दस्तखत
1	2	3	4
	संपत्ति क्रय कीमत 22,54,000/-	18085/- ...	

तारीख 29.3.15

उप पंजीयक
मण्डला (म.प्र.)

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

K 829569

(2)

विक्रय की जा रही भूमि का विवरण –:

ग्राम नाम	बन्दो0 नं0	प0ह0नं0	रा0नि0मं0	तहसील	जिला
खैरी	579	32/62	मण्डला ब	मण्डला	मण्डला

खसरा कमांक	रकवा	भू–राजस्व	हक	किस्मभूमि
350/1ख में से	0.320 हे0	1.25 रूपये	भूमिस्वामी	असिंचित पड़त भूमि
340/1ख में से	0.080 हे0	0.25 रूपये	भूमिस्वामी	असिंचित पड़त भूमि

योग कुल 2 कुल विकय रकवा **0.400** हेक्टेयर अर्थात एक एकड़, कुल जमा 1.50 रूपये है ।

विकय की गई भूमि खसरा नंबर तीन सौ पचास बटे एक ख में से रकवा शून्य दशमलव तीन दो शून्य हे0 एवं खसरा नंबर तीन सौ चालीस बटे एक ख में से रकवा शून्य दशमलव शून्य आठ शून्य हे0 कुल रकवा शून्य दशमलव चार शून्य शून्य हे0 अर्थात एक एकड़, कुल जमा एक रूपये पचास पैसे भूमि है । विकय भूमि का नक्शा संलग्न है ।

केता एक शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्था है जो कि सामाजिक उत्थान के कार्यो हेतु तथा शैक्षणिक कार्यो के लिए उक्त भूमि कय की जा रही है ।

'' इस दस्तावेज में वर्णित संपत्ति के अलावा अन्य किसी और संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा रहा हैं'' ।

विक्रय भूमि का कारण –:

विकय की जा रही भूमि विकेता को अन्यत्र विनियोजन हेतु रूपयों की आवश्यकता होने के कारण आप केता को उक्त संपत्ति का विकय कर कब्जा सौंप रहें है । विकय संपत्ति मुख्यमार्ग मण्डला–डिण्डौरी रोड की दूरी डेढ किलोमीटर लगभग है एवं विद्यालय की दूरी डेढ किलोमीटर है । बाजार बस स्टैंड एवं अस्पताल की दूरी तीन किलोमीटर है रेल्वेस्टेशन की दूरी सात किलोमीटर की है ।

विक्रय भूमि की चर्तुसीमा –:

विकय की गई भूमि खसरा नंबर 350/1ख में से रकवा 0.320 हे. एवं खसरा नंबर 340/1ख में से रकवा 0.080 हे. दोनो रकवा आपस में एक दूसरे से लगे हुए हैं के पूर्व दिशा में मुरारी पिता शिवराम कोष्टा की भूमि, पश्चिम दिशा में विकेता की शेष भूमि ,उत्तर दिशा में ग्राम जंतीपुर जाने वाला कच्चा रास्ता, दक्षिण दिशा में घूरो लाल पिता मल्लू बगैरह की भूमि एवं चन्द्रशेखर पिता कोदूलाल वगैरह की भूमि स्थित है ।कय की गई भूमि की चौड़ाई 30 मीटर है जो कि उत्तर दिशा में जंतीपुर पहुँच मार्ग से लगी हुई है ।

29 MAR 2015

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

K 829570

विकय की जा रही संपत्ति का मुझ विक्रेता ने आप केता से पहले से तय शुदा मूल्य(प्रतिफल) मात्र 18,50,000/—रूपये(अठारह लाख पचास हजार रूपये)में से 9,00,000/—चैक कमांक 337452 दिनांक 29.03.2015 एस बी आई शाखा आधारताल जबलपुर के माध्यम से एवं 8,00,000/—रूपये चै कमांक 337453 दिनांक 29.03.2015 एस बी आई आधारताल जबलपुर के माध्यम से एवं 1,50,000/— रूपये नगद सहर्ष अपनी संतुष्टि से प्राप्त कर लिया है इस प्रकार से कुल विकय राशि चुकता हो चुकी है जो उस क्षैत्र में वर्तमान प्रचलितदरों के अनुरुप,पर्याप्त—यथेष्ठ एवं सर्वोत्तम मूल्य है । अब मुझ विक्रेता को आप केता से उक्त विकय की जा रही भूमि के एवज में कोई राशि या मूल्य लेना या पाना शेष नहीं है ।

विकय भूमि का कब्जा(अधिकार) —:

विकय की जा रही संपत्ति मे से आज दिनांक को ही मुझ विक्रेता ने अपना संपूर्ण कब्जा,दखल,दावा,अधिकार को हटाकर आज ही मौके पर आप केता को खाली भूमि का पूरा—पूरा कब्जा,दखल,अधिकार,दावा को सौंपकर उपरोक्त भूमि का एकमात्र,एकछत्र,निर्विवाद स्वामी,कब्जेदार,मालिक बना दिया हूँ । अब विकय भूमि या कि उसके किसी अंश पर मुझ विक्रेता या मेरे वारिसों का किसी प्रकार का कब्जा या दावा अधिकार नहीं रहेगा और ना ही मेरे वारिसों के द्वारा कभी भविष्य में किसी प्रकार की दावेदारी उपरोक्त भूमि में कर सकेगें अब केता ही उक्त भूमि के मालिक कब्जेदार एवं भूमिस्वामी हैं उक्त विकय संपत्ति कों मुझ विक्रेता के द्वारा आप केता को विकय पत्र के माध्यम से हस्तांरित कर दिया गया है अब केता ही उक्त भूमि को अपने हित में सदैव उपयोग एवं उपभोग करतें रहेगें इसमें मुझ विक्रेता या मेरे दीगर वारिसों के द्वारा भविष्य में किसी प्रकार की दावेदारी या आपत्ति नहीं की जावेगी । अगर की जावेगी तो उसे आमान्य एवं झूठा समझा जावेगा ।

संपत्ति का अन्य विवरण —:

विकय की जा रही भूमि सभी प्रकार के विवादों से मुक्त एवं भार रहित है, आज दिनांक के पूर्व की कोई देनदारी या कर्ज बोझ आदि उक्त भूमि में नहीं है अगर भविष्य में आज के पूर्व की कोई देनदारी या कर्ज,बोझ आदी उक्त भूमि में निकलती है तो उसकी अदायगी मुझ विक्रेता के द्वारा ही की जावेगी किन्तू आज दिनांक के बाद की समस्त देनदारियां या कर्ज,बोझ आप स्वयं केता के द्वारा ही वहन किया जावेगा ।

विकय संपत्ति में वर्तमान में किसी प्रकार की संरचना,मकान,वृक्ष,कुआं,पंप आदि नहीं है भूमि मौके पर पूरी तरह से रिक्त एवं निर्विवाद भार रहित है ।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH K 829571

विक्रय की जा रही संपत्ति में मुझ विक्रेता का नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर भूमि स्वामी,मालिक के रूप में अंकित है अब क्रेता उसे कटवाकर अपना नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर भूमि स्वामी कब्जेदार के रूप में दर्ज करवा लेगें इसमें मुझ विक्रेता या मेरे वारिसों के द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की जावेगी विक्रय संपत्ति बंटन की नहीं है और ना ही सींलिग एक्ट से प्रभावित ही है इस विक्रय से म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 एवं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 22 क के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है । विक्रय शुदा संपत्ति को मुझ विक्रेता ने आज दिनांक के पूर्व किसी व्यक्ति या संस्था को विक्रय,दान,भेंट,वख्शीस आदि दस्तावेजों के माध्यम से अन्यथा अतंरित नहीं किया हूँ और ना ही ऐसी कोई संविदा ही आज कि तिथि में जीवित या प्रभावशील ही है ।

विक्रय की जा रही संपत्ति को मुझ विक्रेता ने आज दिनांक के पूर्व किसी सरकारी संस्था,बैंक,निगम,सोसायटी या अन्य किसी गैर–सरकारी संस्था में रहन,बंधक, अनुबंधितआदी दस्तावेजों के द्वारा निष्पादित नहीं किया हूँ और ना ही इस भूमि में किसी प्रकार का कोई भार ही है भूमि मौंके पर पूरी तरह से निर्विवाद भार रहित है । विक्रय संपत्ति अगर कभी भविष्य में मुझ विक्रेता के हक अधिकार एवं दावा दखल की कमी के कारण आप क्रेता के हक अधिकार एवं दावा दखल से निकल जाती है तो उसमें आप क्रेता को जो भी नुकसानी होगी उसे क्रेता मय नुकसानी के मुझ विक्रेता या मेरे बाद मेरे वारिसों से अन्य दीगर जायजाद से न्यायालय से कानूनी कार्यवाही कर वसूल पाने के अधिकारी होगें इसमें मुझ विक्रेता या मेरे वारिसों के द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति या उजरदारी नहीं की जावेगी । अब क्रेता के सुखाधिकारों में मुझ विक्रेता या मेरे वारिसों की दखलंदाजी या आपत्ति गैर–कानूनी,आमान्य,झूठी समझी जावेगी अब क्रेता के द्वारा उक्त भूमि का निरंतर उपयोग एवं उपभोग अपने हित में किया जाता रहेगा । विक्रय संपत्ति को आज के बाद कभी भविष्य में मुझ विक्रेता के द्वारा किसी अन्य के पक्ष में विक्रय करने की संविदा करता हूँ तो क्रेता मुझ विक्रेता के उपर दण्डात्मक कार्यवाही करने हेतू स्वतंत्र रहेगें जिसमें मैं पूर्णतः सहमत हूँ । क्रेता उक्त भूमि का उपयोग आवासीय में करेंगें तथा रास्ता के लिए उपयोग नहीं किया जावेगा । अगर किसी को विक्रय करते हैं तो उसके लिए भी यह शर्त बंधनकारी रहेगी ।

मुझ विक्रेता के द्वारा उपरोक्त वर्णित संपत्ति को आप क्रेता के पक्ष में हस्तांतरित कर दिया गया है अब हस्तांतरण की जा रही संपत्ति के एकमात्र,एकछत्र,निर्विवाद स्वामी आप स्वयं क्रेता ही रहेगें। तथा अपनी स्वेच्छानुसार अपने हित में उक्त भूमि का उपयोग सदैव करते रहेगें । आज के बाद कभी भविष्य में हम विक्रेताओं के द्वारा उक्त संपत्ति का विक्रय अन्य पक्ष में किया जाता है तो क्रेता मुझ विक्रेता के उपर दण्डात्मक कार्यवाही कर सकेगें जिसमें मेरी सहमति समझी जावेगी ।अब क्रेताओं का ही एकमात्र,एकछत्र निर्विवाद कब्जा एवं दावा दखल रहेगा तथा क्रेता सदैव अपनेहित में उक्त संपत्ति का उपयोग एवं उपभोग करते रहेगें ।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH K 829572

(5)

अतः आज दिनांक 29.03.2015 को मुझ विक्रेता ने अपनी स्वेच्छा से स्वस्थ्यमनोदशा में उक्त विक्रय पत्र को लिखवाकर,पढकर,समझकर,सुनकर व सही पाकर अपने हस्ताक्षर दो साक्षियों के समक्ष कर तथा दो साक्षियो के हस्ताक्षर अपने समक्ष करवा कर बिना किसी दबाव,भय,प्रलोभन के क्रेता के पक्ष में विक्रय पत्र का निष्पादन कर दिया ताकी प्रमाण रहे व वक्त जरूरत पर काम आवे तथा क्रेता का पक्ष सदैव संवर्द्धित करता रहे ।
(यह विलेख क्रेता एवं विक्रेता की सहमति से प्रारूपित किया जा रहा है जिसमें दोनों पक्ष सहमत हैं)

वीरेन्द्र मिश्रा दस्तावेज लेखक मण्डला

मण्डला,
दिनांक –: 29/03/2015 (उन्तीस मार्च सन् दो हजार पन्द्रह)

विक्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता के हस्ताक्षर

साक्षी –:

साक्षी –1
रोहित कुमार यादव पिता श्री आर.के. यादव
नि.शांतिनगर जबलपुर तह0 एवं जिला जबलपुर
.परि.क–ड्रा.ला.क्र.एम पी20/023370/04
दिनांक 24.09.2004

साक्षी – 2,
अभिषेक चौबे पिता श्री शिवकुमार चौबे
नि 479,शांतिनगर जबलपुर तह. जिला जबलपुर
परि.क–पेन ए एफ एच पी सी 3585 क्यू

(इस विलेख में कोई काट छांट नहीं है)

मण्डला
निष्पादक ... श्रीमति ... चौबे
पंजी.में क्रमांक 734 29/03/15
ली गई फीस 25/-
(वीरेन्द्र कुमार मिश्रा)
दस्तावेज लेखक

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH K 829573

—:: श्री ::—

——00 विक्रय पत्र 00——

विक्रय मूल्य रूपये मात्र 18,50,000/(अठारह लाख पचास हजार रूपये मात्र)
वर्तमान बाजार मूल्य रूपये मात्र =22,54,000/(बाईस लाख चौवन हजार रूपये मात्र)

भू—अधिकार एवं ऋण पुस्तिका
भाग एक कमांक—एल एम ए 007264
खाता क्रमांक—347

मुद्रांक शुल्क रूपये मात्र = **1,12,700/00**
पंचायत शुल्क रूपये मात्र = **22,540/00**
नगरपालिका शुल्क रूपये मात्र = **00/00**
उपकर शुल्क रूपये मात्र = **2,818/00**
अधिक शुल्क रूपये मात्र =**02/00**

योग :— 1,38,060/00
(एक लाख अड़तीस हजार साठ रूपये मात्र)

विकेता :— दीपक कुमार मिश्रा पिता श्री गौरीशंकर मिश्रा जाति ब्राम्हण आयु 40 वर्ष
मत0परि0 क—एम पी/24/186/0183209 जारी दिनांक 23.06.2014
पेन नं.—सी जे ओ पी एम 4408 एफ
निवासी तिलक वार्ड मण्डला तहसील मण्डला जिला मण्डला म0प्र0

केता :—मॉ रेवती एजूकेशनल एण्ड बेलफेयर सोसाइटी रजि.नं.04/14/01/011379/09
द्वारा सचिव श्रीमति कृष्णा चौबे पति श्री शिवकुमार चौबे जाति ब्राम्हण आयु 57 वर्ष
परि0क.—पेन नं. ए ए बी ए एम 3369 जी
निवासी शांति नगर दमोह नाका जबलपुर तहसील एवं जिला जबलपुर म0प्र0

N

S

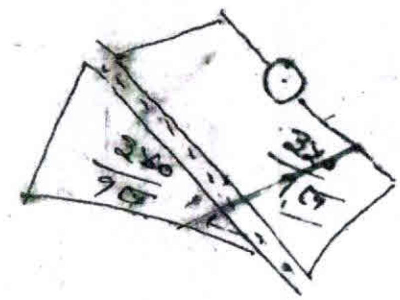

ग्राम - रोहेड़ी

प०ह०नं० - 32

रा०नि०क्षे० - कैथला (क)

तह० - कैथल,

जिला - कैथल,

मापमान - 1/4000

शीट-509 (डोरसिट कॉ)

सत्य प्रतिलिपि

4257
5000
29-3-15

स्टाम्प क्र. 4257 से 4268 तक
5000×12=60,000

[illegible]

क्रेता -> माँ रेवती एजूकेशनल एण्ड ~~[illegible]~~ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा ~~सचिव~~ श्रीमति कल्पना चौबे पति श्री शिवकुमार जाति ब्राह्मण पता शांति नगर दमोह नाका जबलपुर

विक्रेता -> दीपक कुमार मिश्रा पिता श्री गौरीशंकर जाति ब्राह्मण पता तिलक वार्ड मण्डला

बा.मु. 2254000/- विक्रयपत्र

श्रीमति कल्पना w/o शिवकुमार चौबे
के द्वारा उप जिला मण्डला
जिला मण्डला के उप पंजीयक
के कार्यालय में तारीख 29 MAR 2015
को (पु./म.प. 3=2) बजे प्रस्तुत
किया गया

उप पंजीयक
मण्डला (म.प्र.)

मुद्रांक शुल्क	1,12,700-
जनपद पंचायत शुल्क	22540-
नगर पालिका शुल्क	
उपकर शुल्क	
अति. शुल्क	2818-
अतिरिक्त शुल्क	02
कुल योग	138060-

उप पंजीयक
मण्डला (म.प्र.)

जिला कोषालय अधिकारी
मण्डला (म.प्र.)
25 MAR 2015

4256
5020
29-3-15

मा रेवती

[illegible]

दीपक

दीपक कुमार S/o गौरीशंकर मिश्रा जाति ब्राम्हण
नि. तिलक वार्ड मंडला तह. जि. मंडला

मुद्रांक R.
स्टाम्प वेन्डर
उप पंजीयक कार्या मण्ड
ला क्र. 01क

जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं / स्वीकार करते हैं कि तथाकथित ...... Rohit ...... विलेख का निष्पादन किया गया था और प्रतिफल के पूरे / आंशिक रुपये ...18,50,000/- रु. अठारह लाख पचास हजार मात्र... प्राप्त हो चुके तथा रुपये .... उनके मेरी उपस्थिति में चुकाये गये हैं और प्रतिफल की बकाया राशि यथा रुपये .... बच गई है जो पंजीयन के बाद प्राप्त होगी।

मां रेवती एज्यूकेशनल एवं वेलफेयर सोसायटी
द्वारा सचिव श्रीमति कृष्णा w/o दिलीप कुमार चौबे
नि. शांति नगर दमोह नाका जबलपुर

जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं / स्वीकार करते हैं कि तथाकथित ...... Rohit ...... विलेख का निष्पादन किया गया था और प्रतिफल के पूरे / आंशिक रुपये .... प्राप्त हो चुके तथा रुपये .... उनके मेरी उपस्थिति में चुकाये गये हैं और प्रतिफल की बकाया राशि यथा रुपये .... बच गई है जो पंजीयन के बाद प्राप्त होगी।

① रोहित कुमार S/o आर.के. यादव नि. शांति नगर जबलपुर
② अभिषेक S/o शिवकुमार चौबे नि. जबलपुर

जिला कोषालय अधिकारी
मण्डला (म.प्र.)
25 MAR 2015

की जांच पूर्वोक्त निष्पादक/निष्पादकों की शिनाख्त के विषय में की गई।
आज तारीख 29 MAR 2015

उप पंजीयक